58 IV/2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सुधाकर उपमन्यु

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 617627

## ट्रस्ट–डीड

यह विलेख आज दिनांक 12–11–2020 को कमल किशोर पचौरी पुत्र श्री रामनिवास पचौरी निवासी ब्लूमिंग बड्स न्यू गाडीवान मैनपुरी द्वारा निष्पादित किया गया।

1. ट्रस्ट का नाम – कमलनी ब्लूमिंग बड्स एजूकेशन ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – न्यू गाडीवान शिकोहाबाद बाई पास रोड,मैनपुरी।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन – ट्रस्ट में लगाया गया धन 10,000/–रू० नगद धनराशि के रूप में ट्रस्ट की स्थापना हेतु समर्पित किया गया है।

   "भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो ट्रस्ट का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। ट्रस्ट का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हितों अथवा लाभ के लिए स्वीकार होगा"।
5. ट्रस्ट के तत्व– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का ट्रस्ट से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है और प्रत्यसेक ट्रस्ट केलिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है।

Kamal Kishor Pachauri

क्र.129
04-11-020

500 ✓ [illegible]
[illegible]
[illegible]

जिला कोषागार
मैनपुरी
3 NOV 2020
कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी
मैनपुरी (उ०प्र०)

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 009490

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी के उपरोक्त अधिनियम व तत्वो के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे

1. श्री सर्वेश कुमार मिश्रा पुत्रश्री पुत्तु लाल मिश्रा निवासी– जनयुग नगर आगरा रोड मैनपुरी
   अध्यक्ष
2. श्री कमल किशोर पचौरी पुत्र श्री रामनिवास पचौरी निवासी– ब्लूमिंग बड्स न्यू गाड़ीवान मैनपुरी
   सचिव / प्रबन्धक / मुख्यट्रस्टी
3. श्रीमती अनिता पचौरी पत्नीश्री कमल किशोर पचौरी निवासी– ब्लूमिंग बड्स न्यू गाड़ीवान मैनपुरी।
   उपाध्यक्ष
4. श्री हरेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री कृष्ण मुरारी पाण्डेय निवासी– धरमंगदपुर नगरिया टिण्डोली मैनपुरी
   कोषाध्यक्ष
5. श्री हिमांशु मिश्रा पुत्र श्री सर्वेश कुमार मिश्रा निवासी – 563 आगरा रोड जनयुग नगर रामलीला मैदान मैनपुरी
   मंत्री
6. श्री आशीष दुबे पुत्र श्री कमलेश कुमार दुबे निवासी – एस0 एस0 565 सैक्टर–एच– एल.डी.ए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ
   उपमंत्री
7. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्रश्री राजेन्द्र प्रकाश निवासी – रतनपुर बरा मैनपुरी
   ट्रस्टी

ट्रस्ट के उद्देश्य

1. शिक्षा के विकास हेतु प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यक, उद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडीकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल ब्लड बैंक, नर्सिंग

Kamal Kishor Pachauri

सी०नं० 7129
04-11-2020

9 3 NOV

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रू.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 121196

कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, बैचलर्स कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना तथा निःशुल्क पुस्तका शिक्षा, एवं प्रौद्योगिकी, कृषि शिक्षा सम्बन्धी, पठन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० / यू०पी०बोर्ड / एन०सी०ई०आर०टी० शिक्षा पद्धति की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक / युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

2. मजदूरों / कारीगरों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय वाचनालय, छात्रावास, क्रीडा केन्द्रों, व्यायामशाला, आवासीय विद्यालय की स्थापना करना तथा निर्धन, अनाथ अपंग, बच्चों मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तिया वितरण एवं निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, ड्रेस, (यूनिफार्म) आदि उपलब्ध कराना एवं उनके विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना व खेलों को बढ़ावा देना तथा समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा उत्कृष्ट/विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।

3. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, आंगनबाड़ी गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय समय पर आवश्यकता शिविरों का आयोजन करना।

4. शिक्षित युवक-युवतियों में स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा छात्र-छात्राओं के लिये स्नातक एवं परास्नातक विद्यालयों की स्थापना करना विधि शिक्षा प्रबन्धन शिक्षा विज्ञान, शिक्षा कृषि शिक्षा एवं वोकेशनल एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा, पत्रकारिता पर आधारित शिक्षा संस्थानों को खोलना व उनको समुचित व्यवस्था करना।

5. ट्रस्ट का उद्देश्य समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र ग्रहण कैम्प, विचार गोष्ठियों, रक्तदान शिविरों, सेमिनार, सिम्पोजियम, जन जागृति शिविरों तथा प्रदर्शनी,

Kamal Kishor Pachauri

7 OCT 2020

प्रा० नं० 7129

04-11-020

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 121197

प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

6. ट्रस्ट द्वारा धर्मार्थ संस्थान शिक्षण संस्थान प्रशिक्षण संस्थान, गौशाला, आश्रम, मन्दिर, निर्माण व संचालन करना।

7. कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध करना व कराना व नवयुवक–युवतियों को कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयो की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

8. समाज के अपेक्षित जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों विकलांगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना एवं उनको चिकित्सा, व उपकरण अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना तथा बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निशुल्क स्थापना करना।

9. ट्रस्ट के अन्तर्गत योग शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा योग प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना।

10. पर्यावरण को सन्तुलन बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण कराना एवं नदी, नहर, तालाबों, घाटों की साफ सफाई एवं सौन्दीकरण कराना।

11. समाज की निर्धन कन्याओं, की दहेज मुक्त सामुहिक विवाह का आयोजन कराना ।

12. समय समय पर प्राकृतिक एंव देवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियो को राहत सामग्री जैसे कपड़े, दवायें, अस्थाई एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।

13. ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना एवं अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजना चलाना।

14. गरीब वर्ग की सुविधा के लिये विवाह भवनों एवं धर्मशालायें देश के किसी भी भाग में स्थापना करवाना।

15. सामाजिक, सांस्कृतिक, उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वो व महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं उनके आयोजनों में सहयोग करना आदि ट्रस्ट अथवा ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उददेश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को दान या आर्थिक सहायता

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 121198

प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।

**संचालित संस्थानों की प्रबन्धसमिति में नामित सदस्य--**

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट संचालित होगी की प्रबन्ध समिति के सचिव/उपाध्यक्ष आजीवन रहेगें। उक्त की मृत्यु उपरान्त या त्यागपत्र देने पर इनके वंशज ही उक्त पद पर नामित होगें। अन्य पदाधिकारियों व एव सदस्यों के लिए ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे ट्रस्टी सदस्यों में से या बाहर से नामित कर संस्था की प्रबन्धसमिति के लिए भेज सकेंगे या चुनाव द्वारा नामित होगें ऐसे पदाधिकारियों व सदस्य पद हेतु भेजे जाने वाले ट्रस्टीजनों एव सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 07 होगी।

**ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य--** ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एव ट्रस्टीयों द्वारा दिया गया धन व दान आदि धन राशि ट्रस्ट द्वारा खोले गये खाते में किसी भी बैंक में जमा की जायेगी भवन निर्माण की व्यवस्था के लिये अध्यक्ष/मुख्यट्रस्टी बैंक प्राईवेट कम्पनी, फाईनेन्सर्स, आदि से ट्रस्ट के हित में ब्याज पर इंतजाम करेगा उक्त धनराशि के लिये लेन देन करने बैंक खाता आपरेट के लिये उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर होगें ।

**विशिष्ट सदस्य**

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिए ट्रस्टीयों द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेगें। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 होगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें। विशिष्ट सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा।

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 121199

ट्रस्ट संस्थापक (प्रमुख)— ट्रस्ट के सचिव/मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक व उपाध्यक्ष अपने पद पर जीवनपर्यन्त रहेंगे उनकी मृत्यु अवशान होने की दशा में उनके वंशज ही उक्त पद पर स्वतः उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक बन जायेगें। उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को अपने पद पर नामित कर सकेंगें ।

अधिकार व कर्तव्य—

सचिव

1—ट्रस्ट की मीटिंगो की अध्यक्षता करना किसी भी प्रस्ताव पर अपना निर्णायक मत देना ।

2—ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति का आपात स्थिति में देखकर सचिव की राय से कार्यकारिणी भंग करना। एंव कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने हित में निहित कर 2 माह में कार्यकारिणी समिति का विधिवत् निर्वाचन करना ।

3—ट्रस्ट समिति के परामर्श से अध्यक्ष किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का सदस्य बना सकेंगें ।

4—ट्रस्ट के आजीवन व संरक्षक सदस्यो द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर उसे 6 वर्ष की अवधि के लिये सभा से निलम्बित किया जा सकता है ।

5—ट्रस्ट विरोधी कार्य एंव अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना ।

6—ट्रस्ट में आकस्मिक व्यय हेतु 10000 रुपया तक अपने पास रखना व व्यय करना ।

7—ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वह सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति एंव ट्रस्ट विकास में सहायक हो करना ।

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH    39AA 121200

8-ट्रस्ट की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान, चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजो ऋण, अनुदान, चेको, ड्राफ्टो, बन्धक विलेखों बिल बाउचरो पर हस्ताक्षर करना ।

9-ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थानों/मे कार्यरत कर्मचारीयों एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना एंव उसकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

उपाध्यक्ष–

1–ट्रस्ट की मीटिंगो की अध्यक्षता करना किसी भी प्रस्ताव पर अपना निर्णायक मत देना ।

2–ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति का आपात स्थिति मे देखकर सचिव की राय से कार्यकारिणी भंग करना। एंव कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने हित मे निहित कर 2 माह मे कार्यकारिणी समिति का विधिवत् निर्वाचन करना ।

3–ट्रस्ट समिति के परामर्श से अध्यक्ष किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति या साधारण सभा का सदस्य बना सकेगें ।

4–ट्रस्ट के आजीवन व संरक्षक सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर उसे 6 वर्ष की अवधि के लिये सभा से निलम्बित किया जा सकता है ।

5–ट्रस्ट विरोधी कार्य एंव अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना ।

6–ट्रस्ट मे आकस्मिक व्यय हेतु 10000 रूपया तक अपने पास रखना व व्यय करना ।

7–ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वह सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एंव ट्रस्ट विकास मे सहायक हो करना ।

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 121201

8-ट्रस्ट की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान, चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों ऋण, अनुदान, चेकों, ड्राफ्टों, बन्धक विलेखों बिल बाउचरो पर हस्ताक्षर करना ।

9-ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थानो/में कार्यरत कर्मचारीयो एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना एंव उसकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

अध्यक्ष

समस्त प्रकार की सभाओं की अध्यक्षता करना।

कोषाध्यक्ष

1. ट्रस्ट के आय–व्यय का विवरण रखना।
2. अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना।

मंत्री

1. अध्यक्ष की सहमति से उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना।

12.ट्रस्टियों में से कोइ भी ट्रस्टी का अवशान, मृतयु या कोई नैतिक द्वेष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मंडल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत से होने के आधार पर सदस्यता/पद समाप्ति हो जाता है ऐसे पद/स्थान रिक्त होने पर ट्रस्टियों के 2/3 बहुमत से रिक्त भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।
13.संस्था के आजीवन सदस्यों को ट्रस्ट या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट के हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा। और इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों से एक मत से पारित किया जाना आवश्यक होगा।
14. यदि भविष्य में कोई अचल सम्पत्ति क्रय, दान में आती है तो उक्त सम्पत्ति का विलेख उपनिबन्धक कार्यालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ।

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 121202

यह ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजकीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, मंत्रालयों, विभागों, बोर्डो, दानदाताओं से दिया गया दान एवं चंदा ट्रस्ट को स्वीकार होगा।

16 .न्यास का विघटन

1. न्यासी मण्डल यदि किसी समस्या जैसे आर्थिक संकट इत्यादि के कारण न्यास का संचालन करना सम्भव नही है तो न्यास का विघटन किया जा सकता है।
2. अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी किसी एक ट्रस्टी के साथ मिलकर किसी नये ट्रस्ट में या किसी कार्यरत ट्रस्ट में ट्रस्ट की सम्पत्ति को विलय कर सकते हैं।
3. न्यास के विघटन के लिये न्यासी मण्डल की विशेष बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तभी न्यास का विघटन किया जा सकता है। इस बैठक में अध्यक्ष/मुख्यट्रस्टी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. यह ट्रस्ट सदा के लिये बनाया गया है जिसे वापिस लेने का अधिकार इसके किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को नही होगा। यह ट्रस्ट irrecoveravle अर्थात अप्रतिसंम्य ट्रस्ट होगा।

यह कि उक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान में 10000/- रूपये के अतिरिक्त कोई चल अचल सम्पत्ति नही है और न ही ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति है सभी पक्षकारों के मोबाईल में आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड है।

लिहाजा यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 12-11-2020 ई० को लिख दिया ता कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे व मसौदा सुधाकर उपमन्यु एडवोकेट सदर तह0 आगरा।

Kamal Kishor Pachauri

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 121203

ना० नीलेश यादव S/o राजपाल सिंह यादव
R/o नासीवाज मैनपुरी

सुधाकर [illegible]

Neelesh yadav

Neelesh yadav

Kamal Kishor Pachauri

https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndors...

क्रम नं० 7129
04-11-2020

आवेदन सं०: 202000775016142

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 58 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री कमल किशोर पचौरी ,
पुत्र श्री रामनिवास पचौरी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ब्लूमिंग बड्स न्यू गाडीवान
मैनपुरी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक
12/11/2020 एवं 04:53:14 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव
उप निबंधक :सदर
मैनपुरी
12/11/2020

राजीव कुमार रजक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH                                                39AA 121204

द्वा० सुधाकर उपमन्यु S/o एस० सी० शर्मा

R/o 28/449 गुजराती गली गोकुल पुरा

आगरा

S. Upmanyu

सुधाकर उपमन्यु
[illegible]
[illegible], आगरा

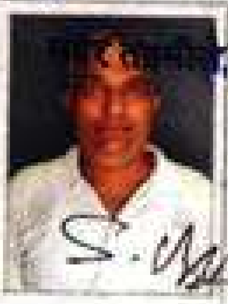

S. Upmanyu

Kamal Kishor Pachauri

क्रम नं० 7129 50
04-11-020

आवेदन सं०: 202000775016142

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 58 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री कमल किशोर पचौरी, पुत्र श्री रामनिवास पचौरी

निवासी: ब्लूमिंग बड्स न्यू गाढ़ीवान मैनपुरी

व्यवसाय: अन्य

Kamal Kishor Pachauri

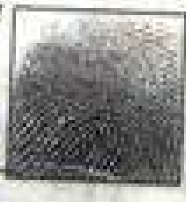

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीतेश यादव, पुत्र श्री जगपाल सिंह यादव

निवासी: गाढ़ीवान मैनपुरी

व्यवसाय: अन्य

Neetesh Yadav

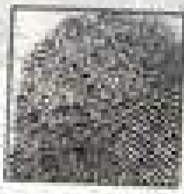

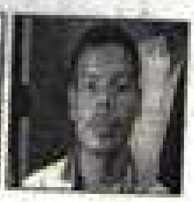

पहचानकर्ता : 2

श्री सुधाकर उपमन्यु, पुत्र श्री एस०सी० शर्मा

निवासी: 28/449 गुजराती गली, गोकुलपुरा आगरा

व्यवसाय: अन्य

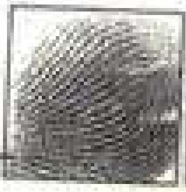

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

कृष्ण कुमार यादव
उप निबंधक : सदर
मैनपुरी

राजीव कुमार रजक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 121205

हाजा संलग्न है।

Kamal Kishor Pathauri

S. Upman Advo

सुधाकर उपमन्यु

एडवोकेट

सदर तहसील, आगरा

आवेदन सं॰: 202000775016142

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 71 के पृष्ठ 291 से 314 तक क्रमांक 58 पर दिनाँक 12/11/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव
उप निबंधक : सदर
मैनपुरी
12/11/2020

प्रिंट करें